न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–07/2017–18

राजेश शर्मा बनाम रवीन्द्र नाथ सिंह एवं अन्य

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
11/04/18	**आदेश** आवेदक श्री राजेश शर्मा, पिता स्व0 हृदय नारायण शर्मा, बिहटा कोठी, थाना–कदमकुंआ, जिला–पटना के द्वारा यह वाद रवीन्द्र सिंह वो जितेन्द्र सिंह वल्दान स्व0 हदृय सिंह, ग्राम–विष्णुपुरा, थाना–बिहटा, जिला–पटना की बिहटा अंचलातंगत मौजा महादेवपुर, फुलवारीशरीफ, थाना नं0 53, खाता नं0 473 खेसरा नं0 1874 के लिए कायम जमाबंदी सं0 52 को रद्द करने हेतु लाया गया है। **आवेदक का कथन है कि** (1) मौजा महादेवपुर, फुलारी, थाना नं0 53, खाता नं0 473, खेसरा नं0 1874, रकवा 6.40 एकड़ सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक के रूप में दर्ज है। मध्यवर्ती जमीन्दार के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड कैलाश शर्मा को बन्दोबस्त की गयी थी। कैलाश शर्मा को चार पुत्र हदृय नारायण शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, देवेन्द्र नारायण शर्मा एवं जगत नारायण शर्मा हुए। कैलाश शर्मा की मृत्यु के उपरान्त पारिवारिक बंटवारा में प्रश्नगत भूखण्ड हदृय नारायण शर्मा को हिस्सा में मिली। हदृय नारायण शर्मा के नाम से जमाबंदी सं0 352 कायम की गयी। (2) अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी रद्द करने हेतु अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा BLR Act 1950 की धारा–4H के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ की गयी। परन्तु विविध वाद सं0 94, 95, 97 एवं 98/2003–04 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अपने दिनांक 30.04.2004 के आदेश से यह कहते हुए कि जमाबंदी विधिवत एवं बहुत पूर्व से कायम है, अतः धारा–4H के अन्तर्गत जमाबंदी रद्द करना न्यायोचित नहीं है, अंचलाधिकारी, बिहटा के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। (3) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के उक्त आदेश के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की गयी है, अतः उक्त आदेश अंतिम है। (4) विपक्षीगण के द्वारा वर्ष 2005 में प्रश्नगत भूखण्ड की लगान रसीद निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारी, बिहटा को आवेदन दिया गया, परन्तु अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करते हुए पक्षकार को	

सक्षम व्यवहार न्यायालय में जाने की सलाह दी गयी।

(5) विपक्षीगण के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के स्वत्व को लेकर स्वत्व वाद सं0 96/2005 दायर किया गया, जिसकी कंडिका–9 में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि उनके द्वारा दिनांक 24.05.2005 को अंचलाधिकारी, बिहटा के समक्ष आवेदन दिया गया, परन्तु अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा उन्हें सक्षम व्यवहार न्यायालय में जाने की सलाह दी गयी।

(6) रिवीजनल सर्वे में खेसरा सं0 1874 से खेसरा सं0 998, 999, 1001, 1002 एवं 1003 बना। विपक्षीगण के द्वारा धारा–103ए के अन्तर्गत वाद सं0 125 एवं 126 दायर किया गया, परन्तु बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना के द्वारा सुनवाई के उपरान्त विपक्षीगण के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया।

(7) विपक्षीगण के द्वारा राजस्व कर्मचारी श्री कवि भूषण को मेल में लेकर पंजी–2 में छेड़–छाड़ कर के प्रश्नगत भूखण्ड की लगान रसीद अपने नाम से निर्गत करवा ली गयी। इस बात की जानकारी मिलने पर आवेदक के द्वारा बिहटा थाना में थाना कांड सं0 849/2014 दर्ज कराया गया।

(8) आवेदक के द्वारा अंचल कार्यालय की मिलीभगत के संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को आवेदन दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा अंचलाधिकारी, बिहटा से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

(9) अंचलाधिकारी, बिहटा के पत्रांक 199 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जमाबंदी सं0 352 हदृय नारायण, पिता कैलाश शर्मा के नाम पर कायम है, जिस पर अन्य खातों के साथ खाता सं0 473 दर्ज है। जमाबंदी सं0 52 रवीन्द्र सिंह वो जितेन्द्र सिंह के नाम पर कायम है। जिस पर खाता सं0 347, 473 एवं 11 खेसरा सं0 143, 324, 144, 331, 1003/1874 दर्ज है। जमाबंदी पर प्लॉट नं0 1874 लिख कर काटा गया है। जमाबंदी सं0 52 कायम होने का आधार रसीद सं0 119402 दिनांक 31.03.1974 दर्ज है। स्थल निरीक्षण में प्रश्नगत भूखण्ड पर राजेश शर्मा वल्द स्व0 हदृय नारायण शर्मा का दखल कब्जा पाया गया।

(10) अंचलाधिकारी, बिहटा के प्रतिवेदन के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के पत्रांक 20 दिनांक 10.03.2017 के द्वारा जमाबंदी सं0 52 को रद्द करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की सलाह दी गयी।

(11) आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के लिए विपक्षीगण की कायम जमाबंदी सं0 52 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 25.05.1978 का पार्टीशन डीड

(2) धारा–144 के अन्तर्गत वाद सं0 99(एम) 88 में दिनांक 09.09.1988 को पारित आदेश

(3) म्युटेशन अपील सं0 41/1988–89 में दिनांक 30.03.1989 को पारित आदेश

(4) विविध वाद सं0 94, 95, 97, 98/2003–04 में दिनांक 30.04.2004 को पारित आदेश

(5) दिनांक 22.04.2006, की दो डीड जो खेसरा सं0 1874 की बिक्री से संबंधित है।

(6) दिनांक 23.01.2009 का बिक्रीनामा, जो प्लॉट नं0 1874 से संबंधित है।

(7) दिनांक 13.10.2009 की दो डीड

(8) टाईटिल सूट सं0 137/1972 का आदेश

(9) अंचलाधिकारी, बिहटा का पत्रांक 199 दिनांक 22.02.2017

(10) भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिहटा का पत्रांक 2482 दिनांक 28.12.2016

विपक्षीगण का कथन है कि

(1) यह वाद कानूनी दृष्टिकोण से चलने लायक नही है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) प्रश्नगत खाता सं0 473 खेसरा सं0 1874 रकवा 6.40 एकड़ सर्वे खतियान में गैर मजरूआ मालिक के रूप में दर्ज है। मध्यवर्ती जमीन्दार का नाम बृजमोहन सिंह एवं अन्य दर्ज है। उक्त तौजी में बृजमोहन सिंह के अतिरिक्त इन्द्रदीप सिंह एवं गोविन्द सिंह भी मध्यवर्ती जमीन्दार थे।

(3) मध्यवर्ती जमीन्दारों के बीच आपसी बंटवारा में प्रश्नगत खेसरा के कुल रकवा 6.40 एकड़ में से 4 बीघा 5 कठ्ठा 5 धूर इन्द्रदीप सिंह एवं गोविन्द सिंह को संयुक्त रूप से मिला।

(4) इन्द्रदीप सिंह एवं गोविन्द सिंह की मृत्यु के पश्चात वाद सं0 42/1922–23 के अन्तर्गत समाहर्ता, पटना के द्वारा तौजी का बंटवारा किया गया। बंटवारा में तौजी सं0 16838 विपक्षीगण के पिता हदृया सिंह को मिला।

(5) हदृया सिंह के द्वारा उक्त तौजी का अलग बंटवारा नक्शा बनाने हेतु वाद सं0 20/1927–28 दायर किया गया। समाहर्ता, पटना के द्वारा दिनांक 20.08.1930 को हदृया सिंह की जमीनों का पृथक नक्शा बनाने का आदेश दिया गया। उक्त नक्शा में सर्वे प्लॉट सं0 1874 का 4 बीघा 5 कठ्ठा 5 धूर दर्ज है।

(6) हदृया सिंह को पारिवारिक बंटवारा में मौजा महादेवपुर, फुलारी में कुल 3.70 एकड़ मिला। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात 3.70 एकड़ के लिए हदृया सिंह के नाम से जमाबंदी सं0 117 कायम की गयी।

(7) हदृया सिंह की वर्ष 1986 की मृत्यु हो गयी। हदृया सिंह की मृत्यु के उपरान्त आवेदक प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये, परन्तु सरकारी सरिस्ता में अपना नाम नहीं दर्ज करा सके।

(8) वर्ष 1977–78 में विपक्षी सं0 2 जितेन्द्र सिंह के द्वारा हल्का कर्मचारी से सम्पर्क कर हदृया सिंह के नाम से लगान रसीद निर्गत करायी गयी।

(9) रिवीजनल सर्वे में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा गलत इन्द्राज कर दिया गया, तब विपक्षीगण के द्वारा आवश्यक कागजातों के साथ लगान निर्धारण कर रसीद निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारी, बिहटा को 24.06.2006 को आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा विपक्षीगण को सक्षम व्यवहार न्यायालय में जाने की सलाह दी गयी। तत्पश्चात् विपक्षीगण के द्वारा टाईटिल सूट सं0 96/2005 दायर किया गया, जो सब जज–III, दानापुर के न्यायालय में लंबित है। इस वाद के आवेदक राजेश शर्मा उक्त टाईटिल सूट में पक्षकार बनाये गये है।

(10) इस वाद के आवेदक के पिता के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को हड़पने की नीयत से विभिन्न न्यायालयों में अनेक बाद दायर किये गये।

(11) विपक्षीगण को वर्ष 2011 में 1977–78 की लगान रसीद सं0 118802 एक बक्से में रखी मिली। उक्त लगान रसीद एवं अन्य कागजात के आधार पर अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा विपक्षीगण के नाम से लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2011–12 में खाता नं0 347, 11, 473 खेसरा नं0 143, 144, 324, 331, 1003/1874 कुल रकबा 3.70 एकड़ की लगान रसीद निर्गत की गयी। अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र भी निर्गत किया गया।

(12) पिता की वर्ष 1966 को मृत्यु के पश्चात विपक्षीगण प्रश्नगत भूखण्ड पर लगातार दखल में है। आवेदक कभी भी प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में नहीं आये है। प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री विपक्षीगण के पूर्वजों के द्वारा नहीं की गयी है।

(13) प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर व्यवहार न्यायालय में टाईटिल सूट लंबित है। अतः आवेदक का आवेदन विचार योग्य नहीं है तथा रद्द करने लायक है।

विपक्षीगण के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) सर्वे खतियान

(2) खेवट नं0 8

(3) रजिस्टर–डी

(4) पार्टीशन खतियान

(5) पार्टीशन मैप

(6) हृदय सिंह की जमाबंदी सं0 117 पर खाता सं0 347 एवं 11 कुल रकबा 3.70 एकड़ के लिए वर्ष 1977–78 की लगान रसीद

(7) रिवीजनल सर्वे का पर्चा

(8) टाईटिल सूट सं0 96/2005 की याचिका

(9) दफा 103**A** के तहत विभिन्न आदेश

(10)रविन्द्र सिंह एवं जीतेन्द्र सिंह की जमाबंदी सं0 52 की वर्ष 2011–12 की लगान रसीद, जिस पर खाता सं0 347, 11, 473 खेसरा सं0 143, 144, 324, 331, 1003/1874 कुल रकवा 3.70 एकड़ दर्ज है।

(11) जितेन्द्र सिंह के नाम से निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र दिनांक 16.08.2012

(12) वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक के विभिन्न वर्षो की लगान रसीद जो रवीन्द्र सिंह वो जितेन्द्र सिंह के नाम से निर्गत है।

(13) किरायानामा/एकरारनामा

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के परिशीलन से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं।

(1) विपक्षीगण के द्वारा अपने दावा के समर्थन में हदृया सिंह, पिता इन्द्रदीप सिंह की जमाबंदी सं0 117 पर 3.70 एकड़ के लिए वर्ष 1977–78 में निर्गत लगान रसीद की छाया–प्रति संलग्न की गयी है। उक्त लगान रसीद पर मात्र खाता सं0 347 एवं 11 दर्ज है। उक्त लगान रसीद के आधार पर खाता सं0 473 की जमीन पर किये गये दावा का कोई औचित्य नहीं है।

(2) विपक्षीगण स्वंय यह मानते है कि उनके द्वारा दिनांक 24.05.2005 को विवादित भूखण्ड की लगान रसीद निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारी, बिहटा को आवेदन दिया गया, परन्तु अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा आवेदन अस्वीकृत करते हुए, सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करने की सलाह दी गयी। विपक्षीगण के द्वारा इसी के आलोक में स्वत्व वाद सं0 96/2005 दायर किया गया। उक्त वाद लंबित रहते हुए, वर्ष 2011–12 में विवादित भूखण्ड की लगान रसीद विपक्षीगण के नाम से कैसे निर्गत की जा सकती है। यह विधि सम्मत नहीं है।

(3) विपक्षीगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि वर्ष 2011–12 में उनकी जमाबंदी में विवादित भूखण्ड को सम्मिलित किये जाने के लिए सक्षम प्राधिकार के द्वारा आदेश दिया गया हो।

(4) वर्ष 1977–78 की लगान रसीद खाता सं0 347 एवं 11 कुल रकवा 3.70 एकड़ क लिए निर्गत है। उसी रकवा में भला एक नया खाता सं0 473 किस प्रकार जोड़ा जा सकता है।

(5) अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा अपने पत्रांक 199 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्थल जांच में विवादित भूखण्ड पर राजेश शर्मा (आवेदक) का दखल–कब्जा पाया गया।

(6) अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रवीन्द्र सिंह वो जितेन्द्र सिंह (विपक्षीगण) की जमाबंदी सं0 52 की पंजी–2 की छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उक्त पंजी–2 के पृष्ठ से यह स्पष्ट होता है कि लगान रसीद सं0 119402 वर्ष 1977–78 के आधार पर यह

जमाबंदी कायम की गयी है। लगान रसीद सं0 119402 वर्ष 1977–78 में मात्र दो खाता सं0 347 एवं 11 ही दर्ज है, फिर उस रसीद के आधार पर एक नया खाता सं0 473 किस आधार पर जोड़ दिया गया। इसके लिए सक्षम प्राधिकार का कोई आदेश भी उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट है कि संबंधित राजस्व कर्मचारी के द्वारा विपक्षीगण के मेल में आकर गलत मंशा से यह कार्य किया गया है।

(6) पंजी–2 में दर्ज जमाबंदी सं0 52 में विवादित खेसरा सं0 1874 को जोड़ा गया है, जिसे 1003/1874 लिखा गया है। खेसरा सं0 1003 रिवीजनल सर्वे का खेसरा नं0 है। अभी रिवीजनल सर्वे का अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है। इस स्थिति में रिवीजनल सर्वे के खेसरा पर लगान रसीद निर्गत किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि

(1) विपक्षीगण के लिए कायम जमाबंदी सं0 52 बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के संधारित की गयी है।

(2) विपक्षीगण के पिता हदृय सिंह की जमाबंदी सं0 117 यदि पूर्व से कायम थी, तो उसी आधार पर मात्र खाता सं0 347 एवं 11 के लिए उनके वैध उतराधिकारियों के नाम पर विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत नयी जमाबंदी कायम की जा सकती है, परन्तु उसमें कोई नया खाता नहीं जोड़ा जा सकता है।

(3) विवादित खाता सं0 473 के लिए स्वत्व वाद सं0 96/2005 दायर है। स्वत्व वाद का फैसला ही अंतिम रूप से प्रभावी होगा।

अतः इस संबंध में आदेश दिया जाता है कि

(1) विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी सं0 52 जो बिना सक्षम आदेश के कायम है को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाय।

(2) अंचलाधिकारी, बिहटा यह जांच कर लें कि हदृया सिंह के नाम खाता सं0 347 एवं 11 कुल रकवा 3.70 एकड़ के लिए यदि पूर्व से जमाबंदी सं0 117 कायम थी, तो विहित प्रक्रिया अपनाते हुए उनके वैध उतराधिकारियों के नाम पर नई जमाबंदी कायम करें।

(3) वर्ष 2011–12 में बिना सक्षम आदेश के विपक्षीगण के नाम से जमाबंदी सं0 52 कायम करने वाले राजस्व कर्मचारी पर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर अंचलाधिकारी, बिहटा चार सप्ताह में अपर समाहर्ता, पटना के कार्यालय को उपलब्ध करायें।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, बिहटा एवं इस वाद के विपक्षीगण को उपलब्ध करायें।

लेखापित एवं संशोधित।

11/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

11/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना